GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256 **Email:** press@epch.com

Fax: 91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

PRESS RELEASE

EPCH APPEALS HON'BLE UNION MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, TO CONTINUE MEIS BENEFIT FOR HANDICRAFTS SECTOR

NEW DELHI – 2nd SEPTEMBER 2020 –- The DGFT through a Notification No. 30/2015-2020 dated 1st September 2020 has clarified that the MEIS scheme will be discontinued after 31st December 2020. EPCH has appealed to the Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal to let the scheme continue even after 31st December 2020 for the handicrafts sector since the current Covid crisis has resulted in the decline of exports of handicrafts by (–) 66.83% during the 1st quarter of the current financial year 2020-21 and it is estimated that handicraft sector may suffer to the tune of approximately Rs 8000 - 10000 crores in this financial year, said Mr. Ravi Passi, Chairman- EPCH.

While elaborating further, Mr. Passi said any discontinuation of the scheme at this juncture would make products uncompetitive as the sector won't be able to compete with the machine made items from China and South East Asia on the pricing front. The Government's relaxation given under unlock -1,2,3 and 4 has led to the resumption of some business activity and exports are beginning to take place, however, the discontinuation of the scheme after 31st December will be a major blow to the already suffering handicrafts sector.

Shri Rakesh Kumar, Director General EPCH, said that it is a very important benefit which the handicraft sector as a priority sector used to get from the Government and in the past has motivated the exporters to enhance exports to all parts of the world. It is important that during the current pandemic crisis, the incentive is continued so that the exporters who suffered extensively may get the time to recover and contribute towards the clarion call given of the Hon'ble Prime Minister of India for '*Atm Nirbhar Bharat*'.

Merchandise Exports From India Scheme (MEIS) was introduced in the Foreign Trade Policy (FTP) and was launched as an incentive scheme for the export of goods. The rewards are given by way of duty credit scrips to exporters. The Exporters of handicrafts also avail the benefit under MEIS scheme as handicraft sector has been accorded priority under the scheme informed Mr. Rakesh Kumar, Director General, EPCH.

For more information, please contact :
Shri Rakesh Kumar, Director General - EPCH - +91-9818272171

Follow us on #epchindia

Copyright 2020 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.

GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256 **Email:** press@epch.com

Fax: 91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच माननीय केंद्रीय वणिजिया और उद्योग मंत्री से एम्. इ. आई. एस. स्कीम को जारी रखने का आग्रह करता है.

नयी दिल्ली- २ सितम्बर २०२०- १ सितंबर २०२० की अधिसूचना संख्या ३०/२०१५-२०२० के माध्यम से डी.जी.ऍफ़.टी. ने स्पष्ट किया है कि ३१ दिसंबर २०२० के बाद एम्. इ. आई. एस.योजना को बंद कर दिया जाएगा। ईपीसीएच ने माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से अपील की है ३१ दिसंबर २०२० के बाद भी हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए इस योजना को जारी रहने दिया जाये क्योंकि मौजूदा कोविद संकट चालू वित्त वर्ष २०२०-२१ की पहली तिमाही के दौरान (-) ६६.८३ % हस्तशिल्प के निर्यात में गिरावट आई है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हस्तशिल्प क्षेत्र को इस वित्तीय वर्ष में लगभग ८०००-१०००० करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है - ईपीसीएच के अध्यक्ष श्री रवि पासी ने ये जानकारी दी.

आगे बताते हुए, श्री पासी ने कहा कि इस मोड़ पर योजना मे किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पादों को अप्रतिस्पर्धी बना देगी क्योंकि क्षेत्र मूल्य निर्धारण के मोर्चे पर, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से मशीन से बने सामानों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। अनलॉक -१, २, ३ और ४ के तहत दी गई सरकार की छूट ने कुछ व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू कर दिया है और निर्यात शुरू होने वाले हैं, इसलिए, ३१ दिसंबर के बाद योजना को बंद करना पहले से ही पीड़ित हस्तशिल्प के क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा।

ईपीसीएच के महानिदेशक श्री राकेश कुमार ने कहा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है जो कि एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र को सरकार से प्राप्त होता था और अतीत में निर्यातकों दुनिया के सभी भागों में निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है। यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान महामारी संकट के दौरान, इस प्रोत्साहन को जारी रखा जाये ताकि जिन निर्यातकों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें पुनः प्राप्त करने का और माननीय प्रधान मंत्री के 'आत्मा निर्भर भारत' के आह्वाहन मे योगदान करने का समय मिल सके।

मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) को विदेशी व्यापर निति (FTP) में पेश किया गया था और माल के निर्यात के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह परितोषिकी निर्यातकों को शुल्क क्रेडिट स्क्रैप के माध्यम से दिए जाते हैं। हस्तशिल्पियों के निर्यातक भी एम्. इ. आई. एस. योजना के तहत लाभ उठाते हैं क्योंकि हस्तकला क्षेत्र को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी गई है, श्री राकेश कुमार, महानिदेशक, ईपीसीएच ने बताया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री राकेश कुमार, महानिदेशक - ईपीसीएच - + 91-9818272171

Follow us on #epchindia

Copyright 2020 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.